

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-95/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मनोज कुमारी, नर्स-2 (परिवीवक्षाधीन) प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियन्त्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर का पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर निम्नानुसार आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	22.10.2016	06.11.2016	16	असाधारण अवकाश
2	25.01.2017	22.02.2017	29	असाधारण अवकाश
3	07.06.2017	27.06.2017	21	असाधारण अवकाश
4	21.09.2017	21.10.2017	31	असाधारण अवकाश
	योग		97	

उक्त आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में 67 दिवस अभिवृद्धि की जावेगी।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 01/5/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-95/2019/637

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 108/एस.एम./एमएण्डएच/2019 दिनांक 01.04.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 2259/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 01.04.2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 684 दिनांक 25.04.2019 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियन्त्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
6. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर